महत्वपूर्ण

संख्या-7093 जेड/6-82-33-के0पी0-81.

प्रेषक

श्री बीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 3 अगस्त, 1983।

विषयः—स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवाओं या अन्य पात्र आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने से संबंधित नियमावली के नियम 5 (क) के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के मृत्यु के दूसरे दिन से उनकी विधवाओं अथवा उक्त नियम में उल्लिखित अन्य पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जाते हैं तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकार-पत्र (पी0पी0ओ0) जारी करने के पश्चात् स्वीकृत पेंशन का भुगतान सेनानी की विधवा अथवा अन्य पात्र सदस्य को किया जाता है। शासन को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि प्रायः पारिवारिक पेंशन के विलम्ब से स्वीकृत होने अथवा उसके भुगतान हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने में विलम्ब होने से सेनानी की विधवा को पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है जिससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेनानी की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा या परिवार के अन्य पात्र आश्रित सदस्य को पारिवारिक पेंशन का भुगतान स्वतः उसी प्रकार किया जाय जिस प्रकार सिविल पेंशन प्राप्त कर्ताओं की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवाओं को किया जाता है। इस उद्देश्य से शासन ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (क) में निम्नलिखित संशोधन किया है:—

पृष्ठ (सामान्य) अनुभाग-1

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
5 (क) किसी ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर जो इस नियमावली के अधीन स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन पा रहा हो उक्त पेंशन या उसके लिये तत्काल निर्धारित न्यूनतम धनराशि जो भी अधिक हो, स्वतन्त्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके परिवार के पात्र सदस्य को दी जा सकेगी। इस शर्त के सर्वथा अधीन रहते हुए कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसका हकदार न होगा उक्त पात्रता का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार होगा, अर्थात् सर्वप्रथम विधवा जो इसे मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी। तत्पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क पुत्र, यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता रहेगा जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे। इसके पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री जो इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले घटित हो, पा सकेगी, यह क्रम अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा।	5 (क) किसी ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर जो इस नियमावली के अधीन स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन पा रहा हो, उक्त पेंशन स्वतन्त्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के रूप में, सेनानी के मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, कोषाधिकारी द्वारा उसके पात्र सदस्य को दी जायगी किन्तु शर्त यह है कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसका हकदार न होगा। उक्त पात्रता का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार होगा, अर्थात् सर्वप्रथम विधवा जो मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी। तत्पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क पुत्र, यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता रहेगा जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे। इसके पश्चात् ज्येष्ठतम अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पा सकेगी और यदि कोई दूसरी अविवाहित पुत्री हो तो इसके पश्चात् वह भी इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पा सकेगी। यह क्रम अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा।
पारिवारिक पेंशन, पात्र व्यक्ति को पेंशन पा रहे सेनानी की मृत्यु के दिनांक के दूसरे दिन से देय होगी।	पारिवारिक पेंशन, पात्र व्यक्ति को पेंशन पा रहे सेनानी की मृत्यु के दिनांक के दूसरे दिन से देय होगी।
टिप्पणी (1) उपरोक्त संशोधन दिनांक 25 फरवरी, 1972 से लागू माना जायेगा।	टिप्पणी (1) उपरोक्त संशोधन दिनांक 1 सितम्बर, 1983 से लागू माना जायेगा।
(2) उन मामलों में जिसमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की दो या अधिक विधवायें हों, उपर्युक्त पेंशन अनुपात के अनुसार	(2) उन मामलों में जिनमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की दो या अधिक विधवायें हों उपर्युक्त पेंशन अनुपात के

बराबर बांट दी जायेंगी परन्तु इस प्रकार के मामलों में पेंशन वृद्धि के लिये आवेदन-पत्र शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे ।

(ख) खण्ड (क) में किसी भी बात के होते हुए शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् जिसने अपने जीवनकाल में स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन न प्राप्त की हो, उसके परिवार के पात्र सदस्य को उपर्युक्त धनराशि की, जो नियम 2 (ङ) में स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन के हवाले से वर्णित न्यनतम तथा अधिकतम सीमाओं के अन्दर रहेगी, स्वतन्त्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दें ।

अनुसार बराबर बांट दी जायेंगी ।

(ख) खण्ड (क) में किसी भी बात के होते हुए शासन को यह अधिकार होगा कि किसी ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् जिसने अपने जीवन-काल में स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन न प्राप्त की हो, उसके परिवार के पात्र सदस्य को स्वतन्त्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दें ।

2--उक्त संशोधित नियम के लागू होने की तिथि के पश्चात् जिन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होगी उनकी विधवाओं अथवा अन्य पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान संशोधित नियम 5 (क) के अनुसार कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सेनानी की विधवा को पारिवारिक पेंशन के लिये शासन को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

3--मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि सेनानी की मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसकी विधवा अथवा अन्य पात्र सदस्य को उन्हीं मामलों में किया जायगा जिनमें सेनानी को पेंशन स्वीकृत थी और वह पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे थे । जिन मामलों में सेनानी को पेंशन स्वीकृत नहीं थी उनसे पारिवारिक पेंशन हेतु उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (ख) के अन्तर्गत स्वीकृत पूर्व की भांति शासन द्वारा जारी की जायेगी ।

4--उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 593-जेड/6-81-33 के०पी०-81, दिनांक 3 जुलाई, 1981 जिसमें यह अपेक्षा की गयी थी कि सेनानी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिचवाकर उसकी एक प्रति कोषाधिकारी को दे दे, की ओर आकृष्ट करते हुए यह भी कहना है कि जिन सेनानियों ने अभी तक अपनी पत्नी के साथ खिचवाये गये फोटो की प्रति कोषाधिकारी को न दी हो उनसे पुनः कह दिया जाय कि वे फोटो की प्रति कोषाधिकारी को दे दें ताकि उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा को स्वतः पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई न हो ।

भवदीय,
वीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव ।

संख्या 7093(1)जेड/6-82-33-के०पी०-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया समस्त कोषाधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी करने की कृपा करें कि सेनानी की मृत्यु के उपरांत उनकी विधवा अथवा अन्य पात्र सदस्य द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान सेनानी की विधवा अथवा अन्य पात्र सदस्य को कर दें । भविष्य में पेंशन का भुगतान करने हेतु जारी किये जाने वाले प्राधिकार-पत्रों में भी कृपया इस बात का उल्लेख कर दें कि सेनानी की मृत्यु के उपरांत दूसरे दिन से पेंशन का भुगतान उनकी विधवा अथवा अन्य पात्र सदस्य को किया जायेगा ।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव ।

संख्या-7093(2)जेड/6-82-33-के०पी०-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2--निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3--निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4--गृह (सामान्य) अनुभाग-2/3/4

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह गुसांई,
अनु सचिव ।

की०एस०मु०पी०--ए०पी० 19 सा०गृह-17-8-83-(1778)-1983-1000 (हि०) ।